गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं0:— /प्र0खण्ड जोन–6/2015 दिनांक:—

प्रेषक,

सक्षम अधिकारी (अपार्टमेन्ट एक्ट)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

श्री दीपक कपिल
मै0 निहो कन्स्ट्रक्शन लि0
एक्स–22, प्रथमतल हौजखास
नई–दिल्ली–110016।

विषय :— निहो स्कोटिश गार्डन सोसाइटी का साझा क्षेत्र एवं साझा सुविधाऐं आर.डब्लू.ए. को हैण्डओवर करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्र सं0–486(I)/प्र0खण्ड जोन–6/2015 दिनांक 22.08.2015 द्वारा आपको पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सोसाइटी का साझा क्षेत्र एवं साझा सुविधाऐं आर.डब्लू.ए. को हैण्डओवर कराने हेतु आदेशित किया गया था। लेकिन आवंटित समय बीत जाने के बाद भी आप द्वारा आदेशों का पालन न करते हुए इस हेतु 4 माह के अतिरिक्त समय की मांग की गयी। इस सम्बन्ध में आपको और समय दिया जाना सम्भव नहीं है। सोसाइटी में दिनांक 08.09.2015 से कुछ फ्लैटों की पानी तथा बिजली बाधित हो गयी है, जो वर्तमान में भी बाधित है। जिसके कारण वहां के निवासियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उनमें काफी रोष है। जिसके कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने की सम्भावना है। जैसा कि दिनांक 09.09.2015 के दैनिक समाचार पत्र में उल्लिखित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के आदेश दिनांक 22.08.2015 का अनुपालन हेतु अभिलम्ब आर.डब्लू.ए. के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रभावित फ्लैटों में बिजली पानी की आपूर्ति बहाल कराते हुए सोसाइटी की साझा क्षेत्र एवं साझा सुविधाऐं आर.डब्लू.ए. को हैण्डओवर कराना सुनिश्चित करें। ऐसा न करने की दशा में आर.डब्लू.ए. द्वारा प्रस्ताव पारित कर सक्षम अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिये जाने पर जनहित में आपके विरूद्ध अपार्टमेन्ट एक्ट की धारा–25 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकती है। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

संलग्नक :— 1. कार्यालय आदेश दिनांक 22.08.2015 की फोटोप्रति।
2. दैनिक समाचार पत्र की फोटोप्रति।

(दयानन्द प्रसाद)
प्रभारी प्रवर्तन जोन–6

पृष्ठ सं0 535 II /प्र0खण्ड जोन–6/15 दिनांक:— 11.9.2015

प्रतिलिपि:—

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष (आर० डब्लू० ए०) निहो स्कोटिश गार्डन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी प्रवर्तन जोन–6